भाग–5

समेकित बाल विकास सेवाएं कार्यक्रम

(1) समेकित बाल विकास सेवाएं कार्यक्रम
Integrated Child Development Services Programme

उद्देश्य

- 6 वर्ष तक के बच्चों की पोषण व स्वास्थ्य स्थिति में सुधार।
- बच्चों के समुचित मनौवैज्ञानिक, शारीरिक व सामाजिक विकास की नींव रखना।
- बीमारी, कुपोषण की रोकथाम व बच्चों में स्कूल छोडने की प्रवृति को कम करना।
- बाल विकास को बढावा देने व कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अन्य विभागों/एजेन्सीज के साथ समन्वय स्थापित करना।
- उचित पोषण व स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से बच्चों की पोषण व स्वास्थ्य सम्बन्धित जरुरतों की उचित देखभाल के लिए माताओं की क्षमता को बढाना।

पात्रता 0–6 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चे, गर्भवती महिलाएं व दूध पिलाने वाली माताएं, 11–18 आयु वर्ग की किशोरियां तथा समुदाय के अन्य सदस्य।

प्रक्रिया आंगनबाडी केन्द्र के माध्यम से सेवायें प्रदान करने के लिए 300 की न्यूनतम आबादी वाले क्षेत्रों में भारत सरकार द्वारा आंगनबाडी केन्द्र स्वीकृत होने के पश्चात सभी लाभपात्रों का आंगनबाडी केन्द्र मे पंजीकरण करना। आंगनबाडी केन्द्र खोलने के लिए पंचायती राज सस्थाओं की सहभागिता सुनिश्चित करना।

सहायता आंगनबाडी केन्द्र में 6 माह से 6 वर्ष के बच्चें, धात्री, गर्भवती माताएं एवं बी0पी0एल0 किशोरियों को पूरक पोषाहार, 3–6 वर्ष के बच्चों को अनौपचारिक स्कूल पूर्व शिक्षा, टीकाकरण व स्वास्थ्य जांच की सुविधा, पोषाहार व स्वास्थ्य सम्बन्धित जानकारी व गम्भीर कुपोषण तथा बीमारी की दशा में उचित स्वास्थ्य लाभ हेतु प्रभावित महिला अथवा बच्चों को चिकित्सालय में रेफर करना।

आंगनबाडी केन्द्रों के माध्यम से 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को 4.00 रु0 प्रति बच्चा प्रति दिन, 5.00 रु0 प्रति गर्भवती/धात्री माता/किशोरी प्रतिदिन की दर से पूरक पोषाहार उपलब्ध करवाया जाता है। जिसके लिए आंगनबाडी क्षेत्र में आने वाले पात्र बच्चों/माताओं व बी0पी0एल0 किशोरियों का आंगनबाडी केन्द्र में पंजीकरण आवश्यक है। अति कुपोषित बच्चों के लिए पूरक पोषाहार 6/–रु0 प्रतिदिन प्रति बच्चे की दर से प्रदान किया जाता हैं।

सम्पर्क–अधिकारी जिला कार्यक्रम अधिकारी/बाल विकास परियोजना अधिकारी।